



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-07.04.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर के पाक्सो एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 60,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-420/2018 धारा 354/376AB भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त तुफानी हरिजन पुत्र स्व. हरिश्चन्द्र निवासी कादीपुर थाना शिवपुर वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-07.04.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-7 वि0न्याया0 पाक्सो III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त तुफानी हरिजन उपरोक्त को अंतर्गत धारा 354 भादवि में 10000/- रु. अर्थदण्ड व धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50000/- रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।